

(8)

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक - प0नि0वि0/06-योजना-52/2026 - 3593(5)
स्वीकृत्यादेश

दिनांक- 14/08/2026

सेवा में,

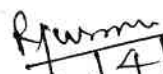
प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू, राँची।

विषय:- पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत "Surface Renewal of Road from Karamtoli Chowk (Ch. 000 km) to Maharaja Madra Munda Chowk (Ring Road) (Ch. 8.2 km) (Total Length - 8.20 km) कार्य" हेतु कुल राशि रु0 4,78,69,000/- (चार करोड़ अठहत्तर लाख उनहत्तर हजार रुपये) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:- उपर्युक्त कार्य के लिए कुल राशि रु0 4,78,69,000/- (चार करोड़ अठहत्तर लाख उनहत्तर हजार रुपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- प्रस्तावित पथ का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग के अधीन है। यह पथ झारखण्ड की राजधानी राँची का महत्वपूर्ण पथ है। पथ के विभिन्न पथांशों में undulation उत्पन्न हो गया है, साथ ही पथ के ऊपरी सतह के समूच्य exposed होने के कारण आम लोगों को यातायात में कठिनाई हो रही है। जनहित में सतह नवीकरण कार्य कराना आवश्यक है। अतएव जनहित एवं कार्यहित में उक्त पथ के उन्नयन हेतु सतह नवीकरण (Surface Renewal) कार्य कराया जाएगा।
- इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/ उप शीर्ष-01-वृहद सड़कें, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, राँची होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, राँची से की जायेगी।
- इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगा:-

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2026-27	रु0 478.6900 लाख	100%
- मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगे।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
- प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
- इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

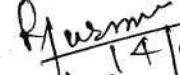

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना-52/2026 - 3593(5)

दिनांक- 14/08/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (याता0) पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

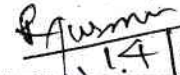
2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।
3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
4. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।


14/08/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना-52/2026 - 3593(5)

दिनांक- 14/08/2026

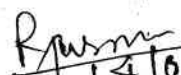
प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची /अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, राँची /संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अपवेक्षण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता, मु0, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा-12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14/08/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना-52/2026 - 3593(5)

दिनांक- 14/08/2026

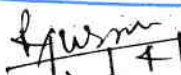
प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14/08/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना-52/2026 - 3593(5)

दिनांक- 14/08/2026

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई-मेल (E-mail) से भेजने एवं ई-प्रोक्चोरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।


14/08/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।